REPORT AND MINUTES OF THE STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

श्री राधा किशन मालवीय (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं 'रेल लाइन विद्युतीकरण' के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (1995-96) के पंद्रहवें प्रतिवेदन तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held on Monday, the 31st July, 1995, allotted time for Government Legislative and other business as follows:—

BUSINESS	TIME ALLOTTED
1. Consideration and passing of the Trade Marks Bill, 1995, as passed by Lok Sabha.	2 Hour
2. Consideration and passing of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions (Amendment) Bill, 1995.	1 Hour and 30 Minutes
3. Discussion on the Draft Agriculture Policy Resolution.	4 Hours
4. Statutory Resolution seeking disapproval of the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1995.	1 Hour and 30 Minutes (To be discussed together)
5. Consideration and passing of the Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1995.	
6. Statutory Resolution seeking disapproval of the Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Ordinance, 1995.	2 Hours (To be discussed together)
7. Consideration and passing of the Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill, 1995, after it is passed by Lok Sabha.	
8. Statutory Resolution seeking disapproval of the Additional Duties of Excise (Goods of Special importance) Amendment Ordinance, 1995.	2 Hours (To be discussed together)
9. Consideration and passing of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill, 1995, after it is passed by Lok Sabha.	

The Committee recommended that the House should sit upto 6.00 P.M. and beyond each day, as necessary, for the transaction of Government Legislative and other Business.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): सारे बचे हुए सेशन का प्रोग्राम है?

RE. ISSUANCE OF VISA TO PAKISTANI MP AND LEADER OF JAMAAT-E-ULEMA-E-ISLAM AGAINST THE ADVICE OF INDIAN INTELLIGENCE AGENCIES

श्री कृष्णलाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आज एक गंभीर विषय सदन में उठाना चाहता हूं। पिछले दिनों पाकिस्तान के एक मैम्बर आफ् पार्लियामेंट और जमायत-ए-उलेमा-ए-इस्लाम के लीडर श्री मौलाना फजलुर रहमान भारत के दौरे पर आए। गृह मंत्री जी को इस संबंध में कोई वक्तव्य देना चाहिए था वह उन्होंने

नहीं दिया और यह दौरा एक रहस्य बन कर रह गया है। फज़लुर रहमान जी यहां क्यों आए थे? क्या भारत ने उनको बुलाया या कोई विदेशी दबाव था जिसके कारण कि उनको यहां आने की अनुमति दी गई और या उन्होंने अपनी कोई ऑफर दी कि वह जो काश्मीर के ऐसे लोग है जिन्होंने किडनैपिंग किया है और पांच विदेशी पर्यटकों को अपने कब्जे में रखा हुआ है उनसे बात-चीत करके उनको रिहा करवा सकते है? इस संबंध में गृह मंत्री महोदय को आज कोई विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए था। महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस संबंध में काफी चिंता हमारे देश में व्यक्त की गई। वह आए भी और अपनी विज़िट को शार्टकट करके जल्दी वापस भी चले गए। वह कहीं और जगह भी जाने वाले थे लेकिन वहां भी वह नहीं गए है। उसकी भूमिका यह बनाई गई है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के अन्दर जो हमारे राजनयिक मि० लांबा है उनको कह कर इनके वीसा के बारे में, वीसा देने के बारे में, दिलवाने के बारे में प्रयास किया। मेरा ख्याल है कि गृह मंत्री महोदय और हमारी सरकार को यह ज्ञान होगा, यह जानकारी होगी कि मौलाना फज़लुर रहमान के काश्मीर की जो टैरोरिस्ट आउटफिट हरकत-उल अंसार है, उनसे उनके संबंध बताए जाते है। इसके साथ-साथ अफगानिस्तान में, भारत में जो गतिविधियां आई०एस०आई० के द्वारा चल रही है, आई०एस०आई० से भी किसी न किसी प्रकार के संबंध उनके बताए जाते है। फज़लुर रहमान जी यहां आने से पहले अमरीका गए थे और अमरीका में वहां के और जो हमारी दृष्टि से कुख्यात नेता है रॉबिन राफेल भी मिल कर आए है। यह सारी गतिविधियों और हमारी इंटेलीजेंस एजेंसीज ने जो सलाह दी थी कि उनको यहां आने की अनुमति न दी जाए, इसके बावजूद भी उनको यहां आने की अनुमति दी गई। वह यहां रहे और उन्होंने कौन सी गतिविधियां यहां पर कीं, इसकी कोई जानकारी हमारे गृह मंत्री ने या हमारी सरकार ने न सदन को दी और न हमारे देश को दी। मैं समझता हूं कि यह चिंता का विषय है।

महोदया, एक और चिंता का विषय है और वह यह है कि क्या अब हमारी यह स्थिति है कि काश्मीर के अंदर अगर कुछ विदेशी पर्यटक अगवा कर लिए गए हैं तो उनको रिहा करवाने के लिए [illegible] किस्तान से किसी को बुलवायेंगे और उनकी सहायता लेंगे? जिसका अर्थ यह है कि हम यह स्वयं स्वीकार कर रहे [illegible] और हमारी सरकार यह मान रही है कि आज काश्मीर का जो हिस्सा जिसको हम अपना अखंड भाग कहते हैं उसके अंदर हमारा प्रभाव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का प्रभाव है। वह तो यहां आकर और उन आतंकवादियों से बात करके और कोई सहायता करके उनके छुड़वा सकते है। हम कुछ नहीं कर सकते। यह एक ऐसी लज्जाजनक और शर्मनाक बात है जो कि हमारी सरकार को कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो पांच पर्यटक अगवा किए गए है, शुरू-शुरू में काफी शोर मचा, अब इस पर चुप्पी हो गई है। क्या इसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है या कोई डेट फिक्स हो गई है, गृह मंत्री जी इसके बारे में भी बताएं कि यह कब तक इस तरह से चलता रहेगा और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इस पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं कि पांच जो पर्यटक है, इनमें से एक अमरीका का, दो ब्रिटेन के, एक नार्वे का और एक जर्मन का है, ये जो पांच टूरिस्ट है उनके बारे में और उनको छुड़वाने के बारे में सरकार इन दिनों क्या कार्यवाही कर रही है?

फजलुर रहमान यहां क्यों आए, किस के दबाव से आए, क्या उन्हें हमारी सरकार ने बुलाया, इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं। महोदया, इसलिये मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार और गृह मंत्री महोदय इस विषय में एक विस्तृत वक्तव्य देकर लोगों की आशंकाओं को दूर करें। धन्यवाद।

विपक्ष के नेता (श्री सिकंदर बख्त): सदर साहिबा। स्पेशल मेंशंस का आखिर हश्र क्या होता है?

اے نیشنل ورڈی دل "شری
سکندر بخت" : وہ در صاحب۔ اسپیشل
مینشن کا کیا حشر کیا ہوتا ہے۔

उपसभापति: जीरो अवर।

श्री सिकंदर बख्त: मैं जीरो अवर और स्पेशल मेंशंस दोनों के लिये कहना चाहता हूं कि कुछ इम्पोर्टेंट सवालात यहां उठाए जाते हैं, इस सिलसिले में डा० जोशी ने एक पत्र भी लिखा है कि इसका पर "फॉलो-अप" होना चाहिये, कोई जवाब आना चाहिए। अगर ये मेंशंस इसी तरह हुये कि आप ने बातचीत की,

+[ ]Transliteration in Arabic Script

मैंशंस किया और घर चले गये। गवर्नमेंट इधर सोती रही और सवाल करने वाला घर चला गया, तो इस का क्या मतलब हुआ? कुछ मालूम होना चाहिये ठंडे और कुछ मैकेनिज्म तय होना चाहिये। The Sepcial Mentions or the Zero Hour mentions just cannot be made for nothing.

†[شہری سکندر بخت: میں
ڈیرو آور اور اسپیشل مینشن دونوں
کیلئے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ اسپیشفک
سوالات پہلے اٹھائے جاتے ہیں اس
سلسلے میں ڈاکٹر جوشی نے ایک پیرا بھی
کہا ہے کہ اس کا "فلوراپ" ہونا چاہیے
کوئی جواب آنا چاہیے۔ اگر یہ مینشن اس
طرح ہو کہ آپ نے بات پیش کی۔ مینشن
کیا اور گھر چلے گئے۔ گورنمنٹ ادھر سوتی
رہی اور سوال کرنے والا گھر چلا گیا تو اس کا کیا
مطلب ہوا۔ کچھ معلوم ہونا چاہیے اسے
اور کچھ میکینزم ہے ہونا چاہیے۔]†

श्री सुंदर सिंह भंडारी (राजस्थान): मैडम डिप्टी चैयरमेन, मुझे आपकी तवज्जोह दिलानी है।

Nobody is there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. So many Ministers are there. At least, four Ministers are there.
[]Transliteration in Arabic Script.

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Madam, you have given a direction that somebody should be there. *(Interruptions)*. There should be somebody to reply. *(Interruptions)*

†[ ]Transliteration in Arabic Script

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam, we have a right to have a reply on the Special Mentions. But it never happens. *(Interruptions)*

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): Madam, there are five Parliamentary Affairs Minsters. *(Interruptions)*

इस तरफ भी आपकी तवज्जो होनी चाहिये।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): मैडम, होम मिनिस्टर साहब इस बारे में जवाब दें। ....(व्यवधान)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ram Nath Kovind. *(Interruptions)* I cannot allow. *(Interruptions)*

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, the collective responsibility of the Government is being taken over by Shrimati Jayanthi Natarajan and Shri Narayansamy. Let them become Ministers fisto. *(Interruptions)*

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, the Minister has come.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ram Nath Kovind. *(Interruptions)* Mr. Narayansamy, I have not permitted you. *(Interruptions)*

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं एक मिनिट लूंगा। मैडम, सालभर से ज्यादा हो गया, चैयरमन साहब का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि हम इतने महत्वपूर्ण सवाल यहां उठाते हैं, मगर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता और हमें कुछ पता नहीं चलता... (व्यवधान)..

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): मैडम, जयंती जी को मंत्री बना दीजिये, वह जवाब दे देगी। हम लोग इन के नाम की सिफारिश करते हैं।

उपसभापति: आप बैठिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदया, हम राज्यों के सवाल उठाते हैं....(व्यवधान).... हम जिन राज्यों से चुनकर आये हैं, हम उन की समस्याएं उठाते हैं, जनता की समस्याएं उठाते हैं और यही जरिया है, इस सदन के अंदर इन सारी बातों को उठाने का। अब यदि उन के

ऊपर सरकार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती तो इस का मतलब है कि सदन का समय व्यर्थ जा रहा है, देश का समय व्यर्थ जा रहा है। इसलिये हमें आप से अनुरोध करना है, जैसाकि अभी सिकंदर बख्त साहब और भंडारी जी ने भी कहा और मैंने चिट्ठी भी लिखी है, उस के अनुसार सरकार और चैयरमेन साहब....(**व्यवधान**)....

उपसभापतिः आप चैयरमेन साहब से बात कीजिएगा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः हम आप के माध्यम से चैयरमेन साहब तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं।

उपसभापतिः मैं चैयरमेन साहब तक पहुंचा दूंगी। श्री रामनाथ कोविन्द।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः मैडम, कृष्णलाल जी ने जो सवाल उठाया है, उसका जवाब आना चाहिये। यह बहुत ही सीरियस मामला है।

कृष्णालाल शर्माः मैडम, यह बहुत ही सीरियस मामला है....

उपसभापतिः शर्मा जी, आप बोल लिये हैं।

श्री कृष्णलाल शर्माः मैडम, मैं एक क्लैरीफिकेशन चाहता हूं कि क्या "जीरो अवर" की कोई चीज रिकार्ड में आती है? इस का टी॰वी॰ पर कोई मैंशन नहीं होता। स्पेशल मैंशंस तो टी॰वी॰ पर आते हैं, लेकिन जीरो अवर बिल्कुल "ब्लैक आउट" हो जाता है। अगर जीरो अवर में इम्पोर्टेंट इश्यूज उठाए जाते हैं और उन का सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर आप जीरो अवर का रूप बदलिए। इम्पोर्टेन्ट इश्यूज उठेंगे जीरो अवर में, लेकिन अगर जीरो अवर का कोई नोटिस नहीं लेगा तो यह तो ठीक नहीं....(**व्यवधान**)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, are you their voice? You have made it a rule that you should answer everything. You better keep quiet. *(Interruptions)* Will you please keep quiet for a minute? *(Interruptions)*

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः मैडम, इस के संबंध में जवाब आना चाहिये।

उपसभापतिः आप बैठिए, मैं जवाब देती हूं। जो भी नियम रूल्स कमेटी ने बनाए है, उन्हीं नियमों के मुताबिक यह हाउस चलता है। अगर आपको इसमें कोई परिवर्तन कराना है तो आप चैयरमेन साहब को चिट्ठी लिखिये। रूल्स कमेटी उसके बारे में गौर करके और चेन्ज कर देगी। यहां मेरे कहने से या आपके दुख प्रकट करने से काम आपका चलने वाला नहीं है। इसलिये बेहतर यह है कि आप मुझे दूसरे को बुलाने दीजिये। श्री रामनाथ कोविन्द।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (बिहार): मैडम....(**व्यवधान**)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Association is not allowed.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः मैडम, यह परंपरा रही है सदन की, कि विशेष उल्लेख या जीरो-आवर में जो मुद्दे उठाये जाते हैं, उनको चैयरमेन परमिट करते हैं और हमारे रिकार्ड में यह लिखा जाता है, इसमें पहले परंपरा यह थी कि मंत्री महोदय 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में उसका जवाब देते थे। लिखित जवाब मैम्बर को आता था, लेकिन आजकल वह जवाब आना बंद हो गया है। हम एसौरिन्स फ्लोर पर नहीं मांगते, कम से कम जो विशेष उल्लेख के या ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं विभिन्न इलाकों के, उनके जवाब मंत्री महोदय की तरफ से आने चाहिएं। ऐसी एक डायरेक्शन आपकी सरकार को जानी चाहिये।

उपसभापतिः यह जवाब आने चाहिये, मंत्री जी। आप पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप सब मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर भिजवा दीजिये कि जो भी मुद्दे यहां उठाए जाते हैं, जिन मसलों के ऊपर यहां बहस होती है, whatever issues are taken up here, please send them. It is the tradition of this House that they should reply. Whichever replies they can send immediately, they can send within some short period. But, if they need any time, they can at least write to you or to the Members that they need some time. Certain matters. require some time, If there are State matters or others, they may be requiring some time. But the Members should at least know that if they have taken the time of the House, somebody is bothered about it. Okay?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मतंग सिंह): लिख दिया जाएगा, मैडम।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. *(Interruptions)*

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra)...There should be a direction that it should be done immediately.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That, we always do. *(Interruptions)*. I always do that.

श्री दिग्विजय सिंह: अगर उसका उल्लंघन हो तब क्या किया जाए?

उपसभापति: जब होगा, तब कहिये। ....(व्यवधान)....

श्री दिग्विजय सिंह: हो रहा है, मैडम। मैं आपको बता सकता हूं।

उपसभापति: अच्छा, अभी इस बात पर झगड़ा नहीं करने का। आप बैठिए। प्लीज, बैठ जाइये।

RE. SERIOUS INDICTMENT OF MINSITRY OF URBAN DEVELOPMENT BY SUPREME COURT IN REGARD TO RACKET IN ALLOTMENT OF GOVERNMENT HOUSES OUT OF DISCRETIONARY QUOTA

SHRI RAM NATH KOVIND (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, with you permission, I beg to raise an important matter relating to the misuse of the discretionary quota in the matter of out-of-turn allotments and houses made to Government servants.

उपसभापति: इस पर मुझे लगता है, कालिंग अटेंशन दिया है। ..(व्यवधान).. जैसा कि मुझे एक एम०पी० साहब ने बताया, चैयरमेन साहब ने आपका जीरो आवर एक्सेप्ट करने के बाद एक कालिंग अटेंशन वीरेन शाह साहब के लिये दिया है।

SHRI RAM NATH KOVIND: Maybe. But this is not coming under that, Madam.

उपसभापति: ठीक है, आप बोल दीजिये। बोलिये आप।

SHRI RAM NATH KOVIND: Madam, the present Narasimha Rao Government has been found deeply involved in various scandals and rackets. The interesting thing is that every year, there is a new scandal or a new racket. Recently, in the month of April, the Supreme Court took *suo motu* note of a report submitted by the Comptroller and Auditor-General of India which had specifically mentioned about the misuse of the discretionary quota. When the Supreme Court took up this matter on 28th April, 1995, on the basis of Press reports, notices were issued to the Government and they were asked to file detailed affidavits. The Government have done so and so many things have been now revealed. On the same day, the Addtional Solicitor-General who appeared before the Supreme Court unequivocally admitted that there had been a misuse of the discretionary quota. He also gave an instance relating to the year 1993-94. He admitted that in Type-I quarters, the out-of-turn allotments went to a percentage of 24; and in Type-II quarters, the percentage was as high as 73. There have been two parts of this matter. One is misuse of discretionary quote in the out-of-turn allotment and the second is illegal occupation by unauthorised occupants. As per the CAG reprt the out-of-turn allotment should not exceed the limit of 25%. This report was also sent to the Prime Minister. I am told that the Prime Minister's Office also intervened and duly instructed the Ministry of Urban Affairs and Employment not to go beyond this prescribed limit. But it did not adhere to the advice of the PMO. I have got certain figures which show that there has been rampant and unmindful use of discretion by the Ministers. As of today, the waiting period for those who are entitled to Type-I quarter is 16 years, the waiting period for Type-II quarter is 31 years and the waiting period for Type-III quarters is 32 years. In 1992 the percentage of Type-I quarters was 26%